# 'जन सुनवाई और रोटी का हक़'

रोटी के हक़ के लिए आवाज़ बुलन्द करने का एक कारगर माध्यम है जन सुनवाई। इनके ज़रिए लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होते हैं, खाद्य–संबंधी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश होता है और अपने कर्त्तव्यों के प्रति सरकार की ज़िम्मेवारी का अहसास करवाया जाता है। 'रोटी का हक़ – अभियान' के तहत सन् 2002 में कई जन सुनवाइयाँ रखी गईं, जैसे 9 अप्रैल को शंकरगढ़ ;उत्तर प्रदेशद्ध में, 9 जुलाई को पलामू ;झारखंडद्ध में, 22 अक्टूबर को कालाहांडी ;उड़ीसाद्ध में, और 4 दिसम्बर को केलवाड़ा ;राजस्थानद्ध में। इन सभाओं से पाँच स्पष्ट फ़ायदे हुएः

**आवाजः** जन सुनवाई, सामान्य नागरिकों को अपने अनुभवों और सरोकारों को लोगों के सामने रखने का मौका देती हैं। ख़ास तौर से यह प्रक्रिया खाद्य–संबंधी कार्यक्रमों की ख़ामियों को पहचानने और बताने में मददगार होती है। जैसे कई जनसुनवाइयों से निकल कर आया कि ग़रीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों का ग़लत चुनाव हुआ है। हाल की जनसुनवाइयों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन का मामला भी कई जगह निकलकर आया। जैसे कालाहांडी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरु( 35 किलो चावल की जगह, लोगों को राशन से 16 किलो चावल ही मिल रहा था। सभी पक्षों को मंच प्रदान करके समस्या को हर तरफ से समझने के लिए, जनसुनवाई एक ऐसा औजार बनता है जो विरोधाभासों को दूर करता है और स्पष्ट विकल्प की भी पहचान करता है।

**जवाबदेही** : आम तौर पर हाशिए पर जीने वाले लोगों की सरकार के आगे कोई सुनवाई नहीं होती है। पर जनसुनवाई एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं और टी.वी., अखबार भी दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी वजह से सरकार को आलोचनाओं से निपटना मुश्किल होजाता है। पलामू के बी.डी.ओ. हफ्ते में मुश्किल से दो बार मनातू आते हैं। लेकिन जनसुनवाई में उन्हें आना ही पड़ा क्योंकि हज़ारों गाँव वालें उनके ब्लॉक केन्द्र पर पहुँच गए। केलवाडा की जनसुनवाई में 30 से अधिक आई.एस.अफ़सरों ने भाग लिया। उन्हें ज़मीनी सच्चाई की बारीकियों का सामना करना पड़ा। वहाँ के बी.डी.ओ. ने पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई और कई समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया।

**लामबन्दी** : सुनवाई मे आई कहानियाँ बाद में जांच पड़ताल और समस्या समाधान का मजबूत आधार बनती हो। पलामू की सुनवाई के बाद लोगों ने तय किया कि भविष्य में ठोस कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय अफ़सरों, अख़बार टी.वी. वाले लोगों, राजनैतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य नागरिकों की इसमें दिलचस्पी बढ़ती है। इसका आगे के कदमों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अभियान ने राजनैतिक विमर्श की मुख्यधारा के केन्द्र में 'रोटी के हक़' को लाने के लिए इसका उपयोग किया है। सर्वे और जनसुनवाई की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने उन राज्यों को कटघरे में खड़ा किया, जो न्यायालय के आदेशों का पालन करने में ढिलाई कर रहे थे।

**सशक्तिकरण** : जनसुनवाई वो मौका देती है जहाँ लोग समझ सकें कि ज़रुरी नहीं कि स्थिति ऐसी ही बनी रहे। उन्हें अपनी सामूहिक ताक़त और बदलाव की सम्भावना का भी अहसास होता है। जन सुनवाई सरकारी मुलाज़िमों और निहित स्वार्थों को चेतावनी भी देती है कि लोग जागृत और संगठित हो रहे हैं। शंकरगढ़, पलामू, केलवाडा तथा अन्य पिछड़े इलाक़ों में हुई जन सुनवाइयों से दलित, आदिवासी तथा अन्य वंचित तबकों में काफ़ी जोश और आशा उभरी है।

**शिक्षा** : अन्त में, जनसुनवाई राजनीतिक शिक्षा का एक रूप है। भागीदारों को वह ऐसे संस्थानों और प्रक्रियाओं को देखने का मौका देती है, जो सामान्यतः उनकी पहुँच के बाहर हैं। जनसुनवाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जन–भागेदारी का एक स्वरुप है। 'करते हुए सीखने' का अनुभव लोकतान्त्रिक भागेदारी की ओर एक कदम है।